>

Title: Regarding the plight of refugees living in West Bengal.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल में रह रहे शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1947 में इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। पंजाब में विभाजन हुआ तो दोनों तरफ से आबादी की अदला-बदली हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में आबादी की अदला-बदली नहीं हुई। उस समय एक नियम बना कि जो भी व्यक्ति बंगलादेश से आयेगा, उसको हम शरण देंगे। 1971 तक कोई भी व्यक्ति अगर पूर्वी पाकिस्तान से आया तो उसे इस देश में शरण मिली और हमारे यहां के श्री पी.सी. घोष, श्री सिद्धार्थ शंकर राय, श्री ज्योति बसु और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये चार-चार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुए, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आये थे। लेकिन जब 1971 में बंगलादेश की लड़ाई छिड़ी तो उस समय एक ऑर्डर एक्सप्रैस लैटर निकला, जिसका नम्बर 26011/16/71/10 था और यह सभी राज्यों के चीफ सैक्रेटरीज़ को भेजा गया। इसमें डायरैक्ट लिखा गया कि कोई भी आदमी, जो पूर्वी पाकिस्तान से आता है, उसे अब हम लोग हिन्दुस्तान का सिटीज़न नहीं बनाएंगे।

1988 में बंगलादेश सैकुलर से इस्लामिक डैमोक्रेटिक घोषित हो गया और वहां पर माइनोरिटी पर अत्याचार होने शुरू हो गये। उसके चलते बहुत सारे अल्पसंख्यक, जो वहां के थे, हिन्दू, बौद्ध और अहमदिया सप्रदाय के लोग, इन लोगों को वहां से भागना पड़ा, लेकिन हमारे देश में सूडो सैकुलर पोलिटिक्स के चलते जो माइनोरिटीज़ के लोग आये, उनको तो राशन कार्ड और नागरिकता मिल गई, लेकिन जो वहां के हिन्दु और बौद्ध आये, उनमें भी ज्यादातर दलित और पिछड़े थे, उनको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया, जबकि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ में डैफीनिशन बिल्कुल सही है कि नस्लभेदी हिंसा या धर्म आधारित हिंसा पर कोई व्यक्ति अगर अपना देश छोड़ता है तो उसे शरण देनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के सिटीज़न एमेंडमेंट बिल, 2003 के हिसाब से सभी बंगलादेशियों को इल्लीगल माइग्रेंट्स घोषित कर दिया गया। 2003 में तत्कालीन विरोधी दल के नेता श्री मनमोहन सिंह जी ने जब यह सिटीज़नशिप बिल आया था तो उन्होंने कहा था कि जो बंगलादेश से हिन्दू भाग कर आते हैं, उनको आप बाकी सिटीज़न की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं और तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने यह आश्वासन दिया था कि नहीं, जो बंगलादेश से माइनोरिटी, अल्पसंख्यक भाग कर आएंगे, उनको हम अलग से ट्रीट करेंगे। आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उस समय लीडर ऑफ अपोजीशन थे और दूसरे आज हमारे एन.डी.ए. के लीडर हैं, लेकिन इन दोनों ने जो वायदा राज्य सभा में किया था, अभी तक उसका पालन नहीं हुआ है।

मेरी आपसे रिक्वैस्ट होगी कि जो भी धार्मिक विद्वेष के आधार पर बंगलादेश से छोड़कर शरणार्थी आ रहे हैं, उन सभी को शरणार्थी स्टेटस यू.एन.एस.सी.आर. के तहत दिया जाये और उन सभी को अल्टीमेटली शरणार्थी स्टेटस और सिटीज़नशिप दी जाये।

MR. CHAIRMAN:

Prof. Ramshankar,

Shri Rajendra Agarwal,

Dr. Kirit Premjibhai Solanki and

Shri P.L. Punia are permitted to associate with the matter raised by Dr. Sanjay Jaiswal.